क्रम संख्या–117

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 18 अगस्त, 2006 ई०
श्रावण 27, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या 299/XXVII(9)/स्टाम्प/2006
देहरादून, 18 अगस्त, 2006

अधिसूचना

प० आ०–89

राज्यपाल, (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में दस लाख रुपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25 प्रतिशत) तक कमी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परन्तु, यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में दस लाख रुपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जायेगी और दस लाख रुपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरुष या उससे अधिक पुरुषों के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख में यदि स्त्री/स्त्रियों का अंश विनिर्दिष्ट हो, तो ऐसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क में स्त्री/स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक कमी कर दी जायेगी, किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकृत न की गयी हो।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 299/XXVII(9)/Stamp/2006, dated August 18, 2006 for general information :

No.299/XXVII(9)/Stamp/2006
Dated Dehradun, August 18, 2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as amended from time to time), the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty upto twentyfive percent (25%) in respect of transfer of immovable property for a value of rupees ten lakh in favour of one or more women individually or severally.

Provided that if the transfer deed in favour of a woman is valued more than ten lakh rupees, the stamp duty upto ten lakh rupees shall be calculated on the twentyfive percent reduced value and the stamp duty on higher than ten lakh shall be calculated to the previous prevailing rates. If the transfer deed is executed in one woman or more and one man or more, if the share of the woman/women is specified then the stamp duty payable on such instrument shall be reduced to the extent of the share of the woman/women, but if such share of the woman/women is not specified in the instrument, then, the stamp duty shall be payable on the instrument as if no reduction in stamp duty had been granted on such instrument.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 41 वित्त / 395–2006–100+200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।